दिनांक 07.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी रायघाटी में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत गंगा रायघाटी में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में प्राथमिक विद्यालय, रायघाटी, परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा दिनांक 07.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के रायघाटी के निकट गंगा नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 14.00 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 1.83 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 4.96 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. सर्व प्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी द्वारा पूछा गया, कि प्रस्तावित परियोजना हेतु स्टडी करवाने हेतु Environmental Impact, Identification, Prediction, Mitigation हेतु क्या विधि अपनाई गयी है तथा परियोजना के दौरान व परियोजना के पश्चात् पर्यावरण अनुश्रवण हेतु क्या व्यवस्था होगी। साथ ही साथ पर्यावरण अनुश्रवण दल में स्थानीय ग्रामवासियों को किस प्रकार सम्मिलित किया जायेगा।
इस पर बताया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप यह स्टडी की गयी है, जिसमें 3 माह के प्यावरणीय आंकडों को एकत्र कर बेसलाइन डॉटा बनाया गया है। स्टडी में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलौर द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्यावरण पर पडने वाले प्रभावों का आंकलन किया गया है, जिसमें Fugitive Dust Modelling, Line Source of Model of USEPA का भी प्रयोग किया है। उक्त स्टडी में भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की उप खनिज नीतियों, पर्यावरणीय नियमों/अधिनियमों, वन अधिनियम एवं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मार्गदर्शिका का संज्ञान लिया गया है। परियोजना की अवधि के दौरान जल, वायु, ध्वनि के सम्बन्ध में अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेंगी तथा परियोजना समाप्त होने के पश्चात 10 किमी की त्रिज्या में आर्थिक व सामाजिक सर्वे किया जायेगा। जहां तक पर्यावरण सर्वेक्षण दल में ग्रामिणों के योगदान की बात है, उसमें स्थानीय निवासियों के सुझावों को सम्मिलित करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
2. श्री जफर भारती, निवासी सुल्तानपुर द्वारा कहा गया कि वर्तमान में अवैध खनन हो रहा है। वाहनों में ओवर लोडिंग की जा रही है तथा नदि से 20 फिट की गहराई तक खनन किया जा रहा है। जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है। समाज सेवियों द्वारा इस प्रकार के कार्य पर शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नही होती है तथा शिकायतकर्ताओं का खनन माफियों द्वारा शोषण किया जाता है। उनके द्वारा कहा गया कि जितने भाग पर खनन की स्वीकृति हो उतने ही भाग पर खनन किया जाये, वाहनों में ओवर लोडिंग ना हो तथा वाहनों का पंजीकरण करते हुये खनन की गहराई निर्धारित की जाये। इनके द्वारा एक प्रत्यावेदन भी दिया गया, जिसको कार्यवृत का भाग बनाया गया।
गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा इस पर बताया गया कि यह खनन प्रथा 14 हैक्टेयर का है। इस हेतु इसका सीमांकन किया जायेगा। खनन की गहराई 1.5 मीटर से अधिक नही होगी तथा वाहनों में खनन सामग्री का निर्धारण मोटर वहिकल एक्ट के अनुसार ही होगा।
3. ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत रामपुर–रायघाटी एवं श्री सतवीर जी द्वारा गंगा की स्थिति के बारे में बताया गया तथा कहा गया कि वर्तमान गंगा के वेग से सरकारी तटबन्ध को खतरा है, जिसकी रोकथाम हेतु तटबन्ध से निश्चित दूरी तय करते हुये खनन कराया जाये। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसको कार्यवृत का भाग बनाया गया है। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि राजस्व क्षेत्र के खसरे जो खनन हेतु चिन्हित है, वह तटबन्ध से दूरी पर ही हैं।
4. श्री राजकुमार, उपप्रधाप, भीकमपुर द्वारा प्रस्तावित खनन में स्थानीय लोगों को राजगार एवं उनके वाहनों को रोजगार में वरीयता दिये जाने हेतु अपना पक्ष रखा गया।
5. स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द, मातृ सदन हरद्विार द्वारा बैठक के समय एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसको कार्यवृत्त का भाग बनाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया, कि

– कार्यदायी संस्था की बातों में उनको आपत्ति है, कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने T.O.R. में बताया गया है, कि वर्ष 1994 तक कोई खनन नही हुआ है, जिसका ब्यौरा उपलब्ध नही

है। जिसका निष्कर्स यह निकाला जा सकता है कि जब तक खनन नही हुआ तब तक गंगा की धारा अविरल बही है।

- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गये ''रेत, बजरी, बोल्डर परियोजना'' पर उनको आपत्ति है क्योकि बजरी बोल्डर इत्यादि उपर से बहकर नही आते है। स्वयं प्रोजेक्ट स्टडी के साराश में कहा गया है कि नदि में वर्तमान में एकत्र मलबे का 90 प्रतिशत भाग जिसकी प्रतिपूर्ति होगी, निकाला जायेगा। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा मातृ सदन की आपत्ति दिनांक 03.01.14 पर अपने जवाब में स्वयं कहा है, कि पत्थर एवं बोल्डर्स उपर से बहकर नही आते है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है, जिस हेतु पुनः स्टडी कराकर वाछित कार्यवाही की जाये। यह भी अध्ययन करा लिया जाये कि पूर्व में खनन से कितना नुकसान हुआ है। तत्पश्चात ही खनन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी उचित होगी तब तक गंगा में खनन पूर्ण रूप से बन्द हो।
- परियोजना में जो अक्षांश/देशान्तर दर्शाये गये है, उनमें अधिकांश भाग वनस्पति क्षेत्र दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें खेती की भूमि भी सम्मिलित है। अतः खनन हेतु वनस्पति क्षेत्रफल का ही खुदान होगा, जो कि चुनौती किये जाने योग्य है। यदि परियोजना के प्रस्ताव के अनुसार नदि क्षेत्र से दोनो तरफ 15–15 प्रतिशत भाग भी छोड दिया जाये तब भी खनन हेतु दिये गये अक्षांश/ देशान्तर वर्तमान परियोजना के कार्यक्षेत्र को सिद्ध नही कर पाते है। परियोजना के सारांश में यह भी लिखा गया है कि Mitigation Measures में यह भ्झी बताया गया है कि खनन स्थल पर कोई वनस्पति नही है। जबकि परियोजना में दिये गये अक्षांश/देशान्तर बताते है कि यहा प्रचूर मात्रा में वनस्पति है।
- परियोजना के सारांश में बताया गया है कि पत्थरों का Replineshment ही होगा, जबकि Replineshment वास्तविक रूप से नही होता है। पत्थरों व बोल्डरों का खनन बन्द होना चाहिये तथा रेत के खनन हेतु वास्तविक स्टडी पुनः करायी जाये।
- कार्यदायी संस्था द्वारा 09.12.13 को जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय का पत्र लिखा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर वन्य जीव जन्तु बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता नही है, जबकि ऐसा कोई नियम अथवा कानून नही है जो इस तरह का प्रावधान सूचित करता हो। भारत सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों की राष्ट्रीय पार्क से 10 कि0मी0 के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव जन्तु बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। कार्यदायी संस्था द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है अतः यह स्टडी निरस्त किये जाने योग्य है।

स्वामी दयानन्द द्वारा दिनांक 26.07.14 को जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा प्रमुख सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र का सन्दर्भ दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपर जिलाधिकारी एवं गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारी मातृ सदन जाकर उनकी आपत्ति दर्ज करें। जिस पर निगम द्वारा बताया गया कि उनके स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नही है।

उपरोक्त के आधार पर स्वामी दयानन्द द्वारा कार्यदायी संस्था को पूर्ण स्टडी कराये बिना भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुये इसकी स्टडी को चुनौती दी है।

इस पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में 1996 से 1997 तक जो भी खनन हुआ है वह अवैज्ञानिक तरीके से हुआ है जिस हेतु इस प्रकार की योजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में लाया गया, जिससे वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार की परियोजनाओं का कार्य

किया जा सके। साथ ही साथ यह भी बताया कि यदि शिकायत होती है व सही पायी जाती है तो परियोजना निरस्त भी की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में जो भी पत्थर नदि तल में जमा है उसे निकाला जा सकता है। जिसके सन्दर्भ में उनके द्वारा उप जिलाधिकारी लक्सर की रिपोर्ट दिनांक 14.11.12 प्रस्तुत की गयी। जिसे कार्यवृत के साथ संलग्न किया जा रहा है। अक्षांश/ देशान्तर के सम्बन्ध में परियोजना एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कोई सन्तुष्ट पक्ष नही रखा गया जिससे क्षेत्रफल व खनन हेतु वास्तविक भूमि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही हो सकी। अतः कोरम द्वारा क्षेत्रफल के सम्बन्ध में दिये गये अक्षांश/देशान्तरों पर अपनी असहमति व्यक्त की गयी एवं यह भी कहा गया कि मातृ सदन की तकनीकी आपत्तियों पर केन्द्रिय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समूह द्वारा परीक्षण करते हुये परियोजना पर re-study and reschedule of publich hearing पर अग्रिम निर्णय लिया जाये।

6. श्री सत्यवीर सिंह चौहान, विमल सिंह सैनी एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि मलबे की निकासी आवश्यक है। खनन के साथ–साथ तटबन्धों की सुरक्षा के समुचित उपाय किये जाये। साथ ही साथ क्षेत्र में खनन रोजगार एवं जिविकोपार्जन का एकमात्र साधन है, इस बात को ध्यान में रखते हुये खनन खोला जाये।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा गंगा नदी रायघाटी में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर जफर भारती ग्राम सुल्तानपुर, मौहम्मद अफजाल ग्राम सुल्तानपुर, आजम भारती ग्राम सुल्तानपुर एवं स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द द्वारा हाथ उठाकर खनन के विरोध में मतदान किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय उपरोक्त चारों व्यक्तियों के अतिरिक्त उपस्थित अन्य समस्त जन समुदाय द्वारा हाथ उठाकर खनन का समर्थन किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल समन्वयक, गंढवाल मंडल विकास निगम, हरिद्वार	डॉ0 अंकुर कंसल क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी (वित्त) जिला हरिद्वार

नांक 07.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी रायघटी में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चीमा, अपर जिलाधिकारी (वित्त) हरिद्वार	[illegible]
2	अंकुर कंसल क्षे. अधि. प्र. नि. बो., रुड़की	[illegible]
3	अनुराग नेगी, अवर अभियंता प्र. नि. बो., रुड़की	[illegible]
4	एस. डी. डौडियाल, गढ़वाल मण्डल विकास निगम	[illegible]
5	एस. पी. सिंह, ए. जी. एम., जी. आर. सी. नोएडा	[illegible]
6	विवेक गुप्ता ए. एम. जी. आर. सी., नोएडा	[illegible]
7	कपिलेश्वर सिंह	कपिलेश्वर
8	कुशलपाल	कुशलपाल
9	जितेन्द्र चौहान	[illegible]
10	दिलीप	दिलीप
11	धर्मवीर	धर्मवीर
12	ललित चौहान	[illegible]
13	मनु कुमार	मनु कुमार
14	सोमवीर सिंह	सोमवीर सिंह
15	विरम	विरम
16	यशवीर सिंह	[illegible]
17	अमित कुमार	अमित कुमार
18	विमल सिंह	[illegible]

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19	सेवाराम	सेवाराम
20	पिरथी सिंह	पिरथी सिंह
21	समयसिंह	समयसिंह
22	रामकुमार	[illegible]
23	रामचन्दर	रामचन्दर
24	[illegible], सदस्य ग्राम पंचायत	[illegible]
25	जगपाल	जगपाल
26	सत्यवीर सिंह चौहान	सत्यवीर सिंह
27	रिजवान सुल्तानपुर	रिजवान
28	अफजाल सुलतानपुर	अफजाल
29	राजकुमार उप प्रधान [illegible]	राजकुमार
30	ब्रह्मचारी दयानन्द मातृसदन हरिद्वार	ब्र0 दयानन्द
31	जनक भारती निवासी सुल्तानपुर[illegible]	जनक भारती
32	सुखलाल निवासी रामपुररायघाटी	सुखलाल
33	[illegible]	[illegible]
34	नरेन्द्र कुमार रामपुर रायघाटी	नरेन्द्र
35	चरतसिंह	चरतसिंह
36	राजेश कुमार	[illegible]
37	सुमनकौ सिंह	सुमनकौ सिंह
38	उपप्रधान दिलेराम रामपुरायघाटी	दिलेराम
39	चन्द्रपाल	चन्द्रपाल

म स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
50	अलकाराम	अलकाराम
51	बीरासिह	बीरासिह
52	समपसिह	समपसिह
53	शोभाराम	शोभाराम
54	जोतीराम	जोतीराम
55	दुलम चन्द	दुलम चन्द
56	पवनकुमार	पवनकुमार
57	नैपाल सिंह	नैपाल सिंह
58	रायसिह	रायसिह
59	तिलकराम	तिलकराम